रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032024-252902
CG-DL-E-12032024-252902

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 61] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

विषय: 2023 वित्तीय वर्ष- के दौरान रूपे 24डेबिट कार्ड और कम (व्यक्ति से व्यापारी) यूपीआई लेनदेन-मूल्य वाले भीम- को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना।

सं. 9/27/2023-एफआई (पार्ट)1.—सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में, डिजिटल भुगतान लेनदेन में देश भर में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, डिजिटल लेनदेन की संख्या जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2,071 करोड़ थी, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 13,462 करोड़ हो गई।

2. यद्यपि, पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतानों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, तथापि, इसमें और वृद्धि की संभावनाएं हैं। अत:, जिन बाज़ारों या वर्गों या क्षेत्रों में अब तक डिजिटल भुगतान को नहीं अपनाया गया है वहां इसे बढ़ावा दिया जाना महत्वपूर्ण है।

3. बजट घोषणा (वित्तीय वर्ष 2023-24) के अनुपालन में और देश में डिजिटल लेनदेन को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रूपे डेबिट कार्ड लेनदेन और कम-मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (2,000 रुपए तक) (व्यक्ति-से-व्यापारी- पी2एम) को बढ़ावा देने वाले बैंकों और अन्य भुगतान प्रणाली संचालकों तथा ऐप प्रदाताओं

को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। स्वीकार्य प्रोत्साहन राशि का परिकलन तिमाही आधार पर प्रोसेस किए गए लेनदेन के मूल्य के अनुसार किया जाना है।

4. यह प्रोत्साहन योजना बैंकों और अन्य भुगतान प्रणाली संचालकों को एक सुदृढ़ डिजिटल भुगतान तंत्र तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करके डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगी और रूपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई को आबादी वाले सभी क्षेत्रों और वर्गों में किफायती डिजिटल भुगतान पद्धति को बढ़ावा देगी। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत विभिन्न डिजिटल पहल के अनुरूप, यह योजना किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में डिजिटल भुगतान के स्वदेशी रूप से विकसित तरीकों, नामत: भीम-यूपीआई लाइट/भीम-यूपीआई लाइटएक्स, "यूपीआई संवादी भुगतान- हैलो! यूपीआई" और भीम-यूपीआई 123पे को बढ़ावा भी देगी।

5. सरकार ने "रूपे डेबिट कार्ड और कम-मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति से व्यापारी) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना" को 3,500 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह एक्वायरिंग बैंकों को नीचे दी गई प्रोत्साहन राशि की दरों और अन्य ब्यौरों के अनुसार वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा:-

श्रेणी	प्रति लेनदेन प्रोत्साहन दर
प्वॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) और ई-कॉमर्स (ईकॉम) के माध्यम से रूपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके लेनदेन	
उद्योग संबंधी कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यक्रम	0.40%, ₹ 100 पर कैप
उद्योग संबंधी कार्यक्रम*	0.15%, ₹ 6 पर कैप
* अर्थात्, बीमा, म्युचुअल फंड, विभिन्न सरकारी विभागोंएजेंसियों को सभी प्रकार के भुगतान/, शिक्षा, रेलवे, कृषि, ईंधन, आभूषण और अस्पताल	
भीम-यूपीआई पी2एम लेनदेन (₹ 2,000 तक)	
उद्योग संबंधी कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यक्रम	0.25%
उद्योग संबंधी कार्यक्रम**	0.15%
** अर्थात्, बीमा, म्युचुअल फंड, विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों को सभी प्रकार के भुगतान, शिक्षा, रेलवे, कृषि, ऋण वसूली, ईंधन, पेट्रोलियम उत्पाद, इंटरैक्शन फंडिंग लेनदेन केन्द्र, टेलीकम्यूनिकेशन्स, युटिलिटी भुगतान, व्यवसाय/व्यक्तिगत सेवाएं और अस्पताल	

5.1 इस योजना की अवधि एक वर्ष, 1अप्रैल, 2023 से मार्च 31, 2024 तक है।

5.2 इस योजना के लिए वित्तीय परिव्यय 3,500 करोड़ रुपए है, जिसमें रूपे डेबिट कार्ड के लिए 500 करोड़ रुपए और भीम-यूपीआई के लिए 3000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। यह आबंटन भीम-यूपीआई से रूपे डेबिट कार्ड में तो प्रतिमोच्य है, लेकिन रूपे डेबिट कार्ड से भीम यूपीआई में प्रतिमोच्य नहीं है।

5.3 वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव (डीएफएस), वित्तीय सलाहकार और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान (डीएफएस) समय पर समीक्षा कर सकते-के परामर्श से इस योजना के अंतर्गत निधियों के उपयोग की समय (एनपीसीआई) निगम हैं और तदनुसार, यदि अपेक्षित हो तो इस योजना में परिवर्तन कर सकते हैं जिसमें उद्योग संबंधी कार्यक्रमों में शामिल व्यापारी की श्रेणियों को जोड़ना या हटाना शामिल है।

5.4 बैंकों के दावों की प्रतिपूर्ति तिमाही आधार पर निम्नलिखित सीमा तक की जाएगी, नामत-: :

(क) योजना की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान बैंकों के लिए स्वीकृत दावा राशि का 100 प्रतिशत और योजना की चौथी तिमाही के लिए रूपे के लिए स्वीकृत दावा राशि का 90 प्रतिशत और बैंक के लिए भीमयूपीआई के लिए - अनुमोदित दावा राशि का80 प्रतिशत वितरित किया जाना है;

(ख) चौथी तिमाही के लिए स्वीकृत दावा राशि की शेष प्रतिशतता की प्रतिपूर्ति रुपे डेबिट कार्ड के लिए उप-खंड (i) और भीम खंड-यूपीआई के लिए उप-(ii) तथा (iii) में दी गई शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगी;

(i) एक्वायरर बैंक (जो दावे प्रस्तुत करता है) को जनवरी'23-मार्च'23 की तुलना में जनवरी'24-मार्च'24 में रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन (पीओएस और ई-कॉमर्स लेनदेन) की संख्या में "जारीकर्ता" के रूप में कम से कम 5 प्रतिशत की वृद्धि दिखानी होगी, ताकि वे चौथी तिमाही अर्थात जनवरी' 24 - मार्च' 24 के शेष स्वीकृत दावे के 10 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हो सकें;

(ii) एक्वायरर बैंक को "विप्रेषक के रूप में" भीम-यूपीआई लाइट और भीम-यूपीआई लाइटएक्स की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी और योजना की अंतिम तिमाही के दौरान भीम-यूपीआई लाइट या भीम-यूपीआई लाइटएक्स पर कम से कम 5 प्रतिशत भीम-यूपीआई पी2एम लेनदेन दिखाना होगा, ताकि वे चौथी तिमाही के लिए प्रस्तुत दावे के 10 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र हो सकें;

(iii) एक्वायरर बैंक को ऐप में "भुगतानकर्ता पीएसपी के रूप में" "यूपीआई कन्वर्सेशनल पेमेंट्स- हैलो! यूपीआई" और "भीम-यूपीआई 123पे" (चार पद्धतियों में से कोई भी) उपलब्ध कराना होगा, ताकि वे चौथी तिमाही के लिए प्रस्तुत दावे के 10 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र हो सकें।

5.5 डीएफएस, एनपीसीआई के परामर्श से प्रोत्साहन शेयरिंग तंत्र सहित इस योजना के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी करेगा।

5.6 यह योजना भारत में परिचालनरत बैंकों और भारत में किए गए लेनदेन पर लागू होगी।

अभिजीत फुकन, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2024

Subject: Incentive scheme for promotion of RuPay Debit Cards and low-value BHIM-UPI transactions (Person to Merchant) for financial year 2023-24.

No 9/27/2023 – FI (Part)1.—The Government is taking various initiatives to promote digital payments. Over past few years, digital payment transactions have witnessed tremendous growth across the country with the number of transactions growing from 2,071 Crore in financial year 2017-18 to 13,462 Crore in financial year 2022-23.

2. Although there has been an unprecedented growth in digital payments over the past few years, there is potential for further growth. It is, therefore, important to promote the adoption of digital payments, targeting untapped markets or segments or sectors.

3. In compliance with the Budget announcement (financial year 2023-24) and to give further boost to digital transactions in the country, it has been decided by the Government to incentivise the Banks and other payment system operators and app providers for promoting RuPay Debit Cards transactions and low-value BHIM-UPI transactions (upto ₹ 2,000) (Person-to-Merchant- P2M), for financial year 2023-24. The admissible incentive is to be calculated as per the transaction value processed on quarterly basis.

4. This incentive scheme will promote digital payments by incentivising banks and other payment system operators to build a robust digital payments ecosystem and to promote RuPay Debit Cards and BHIM-UPI as low-cost digital payments mode across all sectors and segments of population. In line with various digital initiatives under Atmanirbhar Bharat, the scheme will also promote transactions using indigenously-developed modes of digital payments, namely, BHIM-UPI Lite or BHIM-UPI LiteX, "UPI Conversational Payments- Hello! UPI" and BHIM-UPI 123PAY as economical and user-friendly digital payments solutions.

5. The Government approved the proposal to continue the **"Incentive scheme for promotion of RuPay Debit Cards and low-value BHIM-UPI transactions (Person to Merchant)"**, for a period of one year and at a financial

outlay of ₹ 3,500 Crore. This will provide financial incentive to acquiring banks as per the incentive rates and other details given below:

Category	Incentive rate per transaction
Transactions using RuPay Debit Cards at point-of-sale (PoS) and through e-commerce (ecom)	
Other than industry programmes	0.40%, capped at ₹ 100
Industry programmes*	0.15%, capped at ₹ 6
***** *i.e.*, Insurance, Mutual funds, all kind of payments to various Government departments/agencies, Education, Railways, Agriculture, Fuel, Jewellery & Hospitals	
BHIM-UPI P2M transactions (up to ₹ 2,000)	
Other than industry programmes	0.25%
Industry programmes**	0.15%
****** *i.e.*, Insurance, Mutual funds, all kind of payments to various Government departments/agencies, Education, Railways, Agriculture, Debt Collections, Fuel, Petroleum products, Point of interaction funding transaction, Telecommunications, Utility payments, Business/Personal services and Hospitals	

5.1 The duration of the scheme is one year from the 1st April, 2023 to 31st March, 2024.

5.2 The financial outlay for the scheme is ₹ 3,500 Crore, with ₹ 500 Crore allocated for RuPay Debit Card and ₹ 3,000 Crore allocated for BHIM-UPI. While, the allocation will be fungible from BHIM-UPI to RuPay Debit Cards but vice versa is not applicable.

5.3 Secretary, Department of Financial Services (DFS), in consultation with Financial Advisor (DFS) and National Payment Corporation of India (NPCI), may review from time to time the utilisation of funds under the scheme and, accordingly, make changes, if required, in the scheme including adding or omitting merchant categories included in industry programmes.

5.4 Reimbursement of claims of banks will be done on a quarterly basis, to the following extent, namely :-

(a) for the first, second, and third quarter of the scheme, 100 percent of the admitted claim amount for the bank to be disbursed and for the fourth quarter of the scheme, 90 percent of the admitted claim amount for RuPay Debit Card and 80 percent of the admitted claim amount for BHIM-UPI to be disbursed;

(b) the reimbursement of the remaining percentage of the admitted claim amount for fourth quarter will be subject to fulfilment of the conditions in sub-clause (i) for RuPay Debit Card and sub-clauses (ii) and (iii) for BHIM-UPI;

(i) Acquirer Bank (which submits the claims) has to show at least 5 percent growth in January'24-March'24 over Januray'23-March'23 in the number of RuPay Debit Cards transactions (PoS and e-commerce transactions) "as Issuer", to be eligible for reimbursement of 10 percent of the remaining admitted claim of fourth quarter, that is, January'24 - March'24;

(ii) Acquirer Bank has to enable the features of BHIM-UPI Lite and BHIM-UPI LiteX "as Remitter" and to show at least 5 percent of BHIM-UPI P2M transactions on BHIM-UPI Lite or BHIM-UPI LiteX during the last quarter of the scheme, to be eligible for reimbursement of 10 percent of the admitted claim for the fourth quarter;

(iii) Acquirer Bank has to enable "UPI Conversational Payments- Hello! UPI" in app and "BHIM-UPI 123Pay" (any of the four approaches) "as Payer PSP", to be eligible for reimbursement of 10 percent of the admitted claim for the fourth quarter.

5.5 DFS, in consultation with NPCI, will issue operational guidelines for implementation of the scheme, including the incentive sharing mechanism.

5.6 The Scheme shall be applicable to the Banks having operations in India and transactions done in India.

ABHIJIT PHUKON, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.12 21:46:49 +05'30'